यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरछोला (जखोली), रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर मध्यमिक विद्यालय, कुरछोला (जखोली), रुद्रप्रयाग के माह 05/2012 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 25/02/2019 से 28/02/2019 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इकाई की आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई का कार्य कुरछोला एवं आस पास के बच्चो को मौलिक शिक्षा उपलब्ध कराना है । इकाई विकास खण्ड जखोली जिला रुद्रप्रयाग में स्थित है। विद्यालय स्तर तक आने जाने के लिए कच्चा सड़क मार्ग है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1800 मीटर है एवं यह अति दुर्गम श्रेणी में आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
1	2012-13	-	-	39.36	39.36	0.52	0.52	-	-
2	2013-14	-	-	46.17	43.67	0.17	0.14	-	2.53
3	2014-15	-	-	45.50	42.49	0.16	0.16	-	3.01
4	2015-16	-	-	44.15	38.22	0.14	.013	-	5.94
5	2016-17	-	-	46.09	46.01	1.12	1.11	-	0.09
6	2017-18	-	-	52.70	52.44	0.22	0.21	-	0.27
7	2018-19 (Up to Jan 19)	-	-	57.60	51.91	1.66	1.35	-	-

2). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक आवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)**	**विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2012-13								
2013-14								
2014-15								
2015-16	----------------------------लागू नहीं------------------------							
2016-17								
2017-18								
2018-19								

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

लागू नही

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

b). अपर निदेशक, (गढ़वाल मण्डल)

c). मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला स्तर)

d). शिक्षा अधिकारी (जिला स्तर)

e). खण्ड शिक्षा अधिकारी (ब्लॉक स्तर)

f). प्रधानाध्यापक (विद्यालय स्तर)

g). वरिष्ठ सहायक (विद्यालय स्तर)

h). अध्यक्ष (विद्यालय प्रबंधन समिति)

i). अध्यक्ष (शिक्षक अभिभावक समिति)

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05/2012 से 01/2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरछोला (जखोली), रुद्रप्रयाग** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरछोला (जखोली), रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2018, 05/2012, 04/2016 एवं 04/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो(ब)

प्रस्तर:1:- रु.2.37 लाख की धनराशि के रख-रखाब में पारदर्शिता की कमी पाया जाना ।

प्रकरण सं.01:- कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर मध्यमिक विद्यालय, कुरछोला (जखोली), रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में 'प्रधानाचार्य निधि' खाता सं. 003234029000011 टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रुद्रप्रयाग के अधीन संचालित हो रहे थे, जिसमे समय-समय पर विविध मदों जैसे विधायक निधि, गैस्ट अध्यापकों का वेतन, कर्मचारी आर. डी. आदि कि प्राप्त धनराशियों के लेन देन का संचालन पाया गया। लेखापरीक्षा के दौरान खाते की जांच में पाया गया कि रु.172877/- की पूर्व अवशेष राशि 05 जून 2013 को खाते में स्थानांतरित दर्शाई गयी जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से अवरुद्ध पड़ी थी, पुनः सितम्बर 2014 से खाता क्रियाशील पाया गया तथा जमा राशि रु. 178606/- के सापेक्ष दिनांक 01/09/2014 को रु. 50000/- आहरित किए गए। कार्यालय में अभिलेखों का उचित रख- रखाव न होने के कारण उक्त वर्ष तक अवरुद्ध पड़ी राशि की वास्तविक स्थिति इकाई स्पष्ट करने में यह कहते हुए विफल रही कि पड़ी हुई धनराशि की वास्तविकता की जांच कर स्थिति की जानकारी अनुपालन आख्या में प्रेषित की जाएगी।

प्रकरण सं.02:- विद्यालय में छात्र निधि के अंतर्गत रेडक्रास निधि, विज्ञान निधि, जलपान निधि, वाचनालय निधि, निर्धन स्काउट, श्रव्य एवं क्रीडा निधि से संबन्धित अभिलेखों का रख-रखाब किया जाना पाया गया। संबन्धित बैंक पास बुक खाता सं. 003234029000072 टिहरी गढ़वाल बैंक लिमिटेड में दिनांक 20/02/2019 तक निधि की अवशेष राशि रु. 43161/- पायी गयी। इस संबन्ध में उत्तराखंड शासनादेश सं. XXIV- 2/2012-6(3)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012 के क्रम में आबंटित कार्य एवं दायित्व में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के बिन्दु सं. 10 में प्रारम्भिक शिक्षा के खेल-कूद, स्काउट गाइड, रेडक्रास, इको क्लब क्रियाकलाप कराये जाने का उल्लेख पाया गया। परंतु छात्रों से संग्रहित किए गए शुल्कों की विभाग में वर्षों से प्रचलित नियमों के अंतर्गत जिले में अंशदान राशि जमा करायी जा रही थी, जबकि अवरुद्ध पड़ी राशि का प्रयोग छात्रों के विभिन्न क्रियाकलापो खेल-कूद तथा स्काउट गाइड के लिए नहीं हो रहे थे।

प्रकरण सं.03:- छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति राशि जिसे विद्यालय छोड़ने के पश्चात वापस किए जाने का प्रावधान है, से संबन्धित संचायिका निधि खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 28/07/2017 तक अवशेष राशि रु.13629/- पड़ी हुई थी। इससे संबन्धित पंजिका की जांच में पाया गया कि सत्र 2011-12 से पूर्व की संचयिका छात्रों को वापस नहीं की गयी तथा रु.13629/- की धनराशि कब से खाते में पड़ी है, इकाई के पास विवरण सार अनुपलब्ध होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी तथा खाते में पड़ी हुई एवं न लौटाई गयी राशि अब तक निर्णय के अभाव में अप्रयुक्त पायी गयी।

प्रकरण सं.04:- विद्यालय में संचालित मिड-डे मील से संबन्धित बैंक खाता तथा उनके पंजिकाओं की जांच की गयी जिसमे पाया गया कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि में अर्जित ब्याज की राशि रु.7002/- पड़ी हुई थी। एम.डी.एम. बैंक खाता का संचालन वर्ष 2008 से पाया गया। इन 10 वर्षों में अर्जित ब्याज की धनराशि पर दिशा निर्देश प्राप्त न किए जाने के अभाव में शासकीय धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर उपरोक्त समस्त प्रकरणो पर ईकाई द्वारा जांच के पश्चात अनुपालन आख्या में उत्तर प्रेषित करने की बात कही गयी।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, इकाई द्वारा अभिलेखो के रख रखाव में उदासीनता के कारण लेन देन की पारदर्शिता में कमी पायी गयी फलतः प्रधानाचार्य निधि, छात्र निधि, संचायिका निधि तथा मिड-डे मील से संबन्धित समग्र रु. 2.37 लाख की धनराशि की अद्यतन स्थिति इकाई लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सकी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरछोला(जखोली), रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री राजमोहन कनियाल	प्रधानाध्यापक	लेखापरीक्षा अवधि से 08/2014 तक
श्री चंदूलाल आर्य	प्रधानाध्यापक	19/08/2014 से 26/02/2016
श्री भीम सिंह रावत	प्रधानाध्यापक	27/02/2016 से 22/04/2016
श्री चंदूलाल आर्य	प्रधानाध्यापक	23/04/2016 से 13/10/2017
श्री देवेन्द्र सिंह राणा	प्रधानाध्यापक	14/10/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरछोला (जखोली), रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.